



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 23.01.2026

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 02 वांछित अभियुक्तों को सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की मदद से 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बैटरी ऑटो व आलाकत्ल 01 मफ्लर बरामद।

दिनांक 22.01.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पर आवेदिका रूबीना पत्नी स्वर्गीय महताब निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1- नीरज पुत्र चन्द्रपाल निवासी सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद 2- हर्षित पुत्र महेश निवासी सोम बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद द्वारा आवेदिका के पति महताब को घर से बुलाकर ले जाना व हत्या कर शव को थाना तिमारपुर दिल्ली क्षेत्र में फेंक देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-103(1)/238/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया तथा सीसीटीवी कैमरों व मैनुअल इनपुट के आधार पर घटना कारित करने अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु लगातार प्रयास किये गये।

तत्पश्चात आज दिनांक 23/01/2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस व मैनुअल इनपुट की मदद से 24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. नीरज पुत्र चन्द्रपाल निवासी मैन गुजराती चौक भडाना वाली गली सुधीर एन्क्लेव रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम जिनौरा थाना बजीरगंज जनपद बदायूं उम्र करीब 25 वर्ष 2. हर्षित पटेल पुत्र महेश पटेल निवासी सभासद भडाना वाली गली सोम बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष को आवास विकास के पास से गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 बैटरी ऑटो व आला कत्ल 01 मफ्लर बरामद हुआ। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्तगण मृतक महताब के दोस्त थे। दिनांक 18.01.2026 को रात्रि में समय करीब 08.30 बजे नीरज ने हर्षित के फोन से महताब को कॉल करके घर के बाहर बुलाया। उसके बाद तीनों लोग ऑटो में बैठकर ट्रोनिका सिटी की ओर चल दिये जिसमें हर्षित ऑटो चला रहा था तथा नीरज व महताब पिछली सीट पर बैठे थे तभी नीरज ने महताब से शारीरिक संबंध बनाने के लिये कहा तो नीरज व महताब के बीच इस बात को लेकर झगडा हो गया जिस कारण ट्रोनिका सिटी से सिग्नेचर सिटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर नीरज ने महताब को चलते ऑटो से धक्का देकर गिरा दिया। जब हर्षित ने ऑटो रोका तथा उतरकर देखा तो महताब बेसुध पडा था। उसके माथे व सिर पर चोट लगी थी तब नीरज व हर्षित ने मिलकर पकड़े जाने के डर से महताब के गले में पड़े मफ्लर को महताब के गले में लपेटकर खींचते हुए गला दबाकर जान से मार दिया तथा महताब की लाश को यमुना नदी में फेंकने के लिये दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज पर पहुँचे किन्तु ट्रैफिक होने के कारण यमुना नदी में महताब की लाश को नहीं फेंक सके। सिग्नेचर ब्रिज से नीचे उतरकर मौका पाकर अभियुक्तगण महताब की लाश को सड़क पर फेंक कर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. नीरज पुत्र चन्द्रपाल निवासी मैन गुजराती चौक भडाना वाली गली सुधीर एन्क्लेव रामपार्क, थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम जिनौरा थाना बजीरगंज जनपद बदायूं उम्र करीब 25 वर्ष

2. हर्षित पटेल पुत्र महेश पटेल निवासी सभासद भडाना वाली गली सोम बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त 01 बैटरी ऑटो व आला कत्ल 01 मफलर बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम ।

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 04 शातिर अभियुक्तगण को मय चोरी की ई-रिक्शा, ई-रिक्शा की 02 बैटरी, घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा तथा 2000 रुपए नगद सहित किया गिरफ्तार

दिनांक 23.01.2026 को समय लगभग 02:48 बजे, स्थान मेरठ-दिल्ली रोड, रैपिड मेट्रो पिलर नं0 533 के सामने ग्रीन बैल्ट में बने कमरे के पास से थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी के प्रकरण में 04 अभियुक्तों 1. रिकू उर्फ अंकुर उर्फ ललित 2. दीपक 3. आसिफ 4. अनस की गिरफ्तारी की गई है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 चोरीशुदा ई-रिक्शा (UP14 NT 1916), घटना में प्रयुक्त 01 ई-रिक्शा (UP14 NT 1920), 02 अदद ई-रिक्शा बैटरियाँ तथा ₹2000/- नकद बरामद किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा गाजियाबाद सिटी सर्किट के कई थाना क्षेत्रों से पिछले 5-6 माह में करीब दर्जन भर ई रिक्शा चोरी किये हैं इसी क्रम में बरामद ई रिक्शा के बारे में इन्होंने बताया है कि परसों की रात्रि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन क्षेत्र से ये बरामद ई-रिक्शा चोरी कर उसकी बैटरियाँ निकालकर अनस को आसिफ मलिक को बेचीं हैं तथा पूर्व की भाँति ई-रिक्शों को काट-काट कर स्क्रेप के रूप में जिस प्रकार हम आसिफ मलिक को बेचते थे इस रिक्शे को भी हम स्क्रेप बनाकर आसिफ मलिक को बेचते कि आपने पकड़ लिया, पूर्व में भी अनस को बैटरियाँ और आसिफ को ई रिक्शों का स्क्रेप व बैटरियाँ बेचने की बात स्वीकार की गई है। उक्त प्रकरण में थाना सिहानीगेट पर अभियोग अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 317(4) बीएनएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी का विवरण-

1. ई-रिक्शा रजि न0 - UP14NT1916 संबंधित अभियोग अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद
2. दो अदद ई-रिक्शा की बैटरी
3. ई-रिक्शा न0 UP14 NT 1920 - घटना में प्रयुक्त
4. 2000 रुपए नकद

नाम पता अभियुक्त-

1. रिंकू उर्फ अंकुर उर्फ ललित (मुख्य अभियुक्त / ई-रिक्शा चोरीकर्ता) पुत्र स्व० विरेन्द्र नि० नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
2. दीपक (सह-अभियुक्त / चोरी में सहयोगी) पुत्र बाबू नि० आश्रम रोड, थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद
3. आसिफ मलिक (चोरी किए ई-रिक्शों को काट-काट कर स्कैप व बैटरियाँ खरीदने वाला) पुत्र लियाकत मलिक नि० मलिक नगर थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद
4. अनस (चोरी की बैटरियाँ खरीदने वाला) पुत्र प्यारे मियाँ नि० हबीब कम्पाउण्ड, जस्सीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त रिंकू उर्फ अंकुर उर्फ ललित उपरोक्त विरुद्ध पूर्व में थाना इन्दिरापुरम पर आर्म्स एक्ट का 01, थाना कविनगर लूट व आर्म्स एक्ट का 01-01 अभियोग, थाना नन्दग्राम पर लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट के 01-01 अभियोग पंजीकृत हैं।

अभियुक्त दीपक उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में थाना सिहानीगेट पर लूट व आर्म्स एक्ट का 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त अनस उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

अभियुक्त आसिफ उपरोक्त के विरुद्ध थाना नन्दग्राम पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीम-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना साइबर क्राइम, पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा साइबर फ्रॉड में लिप्त एक अभियुक्त गिरफ्तार, थाना साइबर क्राइम गाजियाबाद के 01 अभियोग का खुलासा, साथ ही 3 राज्यों की 3 अन्य घटनाओं में कुल 4.64 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा, घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

श्री अरविंद कुमार निवासी रईसपुर थाना मधूबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद के साथ शेयर ट्रेडिंग में निवेश कर मुनाफा कमाने के नाम पर साइबर फ्रॉड की घटना हुई, श्री अरविंद कुमार सिंह को फेसबुक के माध्यम से सम्पर्क कर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ कर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट में इन्वेस्ट करने के लिये प्रलोभित किया गया। अभियुक्तों द्वारा फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट <https://m.osl-trade1.com> पर शेयर

ट्रेडिंग अकाउंट बनवाकर, शेयर ट्रेडिंग में निवेश के बहाने कुल 2,22,23,000/- रुपये की साइबर ठगी की गई।

उपरोक्त के घटना के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोगों में 10 लाख रुपये अभियुक्तों के बैंक खातों में फ्रीज कराते हुए इस साइबर फ्रॉड की घटना करने वाले गैंग के सदस्य अभियुक्त प्रतीक भालचन्द्र गवस पुत्र भालचन्द्र वासूदेव गवस मूल निवासी रुम नं0 51 डायाभाई चाल नं0 3 सोमवार बाजार रोड निकट औदुम्बर दत्त मन्दिर, थाना मलाड पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्र पिन कोड 400064 व हाल पता .अटीरे फस्ट फ्लोर विदआउट रुफ आफ बिल्डअप प्रापर्टी, आफें प्रापर्टी बियरिंग नं- 1408 रानीबाग थाना सरस्वती विहार उ0प0 दिल्ली को थाना क्षेत्र विजय नगर गाजियाबाद से मय घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त प्रतीक भालचन्द्र गवस ने पूछताछ पर बताया कि उनका एक गैंग है, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिये दोस्ती कर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर, लिंक भेजकर फर्जी शेयर ट्रेडिंग वेबसाइट <http://drwinx1td.cc> में उनके अकाउंट खुलवाकर शेयर ट्रेडिंग तथा टेलीग्राम टास्क में निवेश के बहाने साइबर फ्रॉड की घटना करते हैं।

अभियुक्त ने बताया कि उसने अपने दोस्त अमित के साथ मिलकर फर्जी फर्म कंपनी राइजिंग इण्टरटेनमेंट ईवेन्टस खोलकर उसके नाम पर चालू खाता खुलवाया था, जिसमें साइबर फ्रॉड के पासे ट्रांसफर कराते थे। अमित को हरियाणा पुलिस के द्वारा साइबर फ्रॉड में गिरफ्तार कर जेल भेज जा चुका है।

अभियुक्त से पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इनके गैंग के द्वारा 4 राज्यों के क्रमशः तमिलनाडु राज्य के 2, गुजरात राज्य के 1 एवं उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के साथ कुल 4.64 करोड़ रुपये की साइबर ठगी की गई है।

विवरण इस प्रकार है - तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिला निवासी मोहन राज पालास्वामी के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 31,15,162/- रुपये का फ्रॉड एवं थेनी जिला निवासी गणेशन के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 2,02,58,440/- एवं गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर जिला निवासी क्रुनाल भाई गोस्वामी के साथ शेयर ट्रेडिंग का कुल 7,55,000/- रुपये के फ्रॉड की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सम्बन्धित पुलिस से सम्पर्क कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. प्रतीक भालचन्द्र गवस पुत्र भालचन्द्र वासूदेव गवस मूल निवासी रुम नं0 51 डायाभाई चाल नं0 3 सोमवार बाजार रोड़ निकट औदुम्बर दत्त मन्दिर, थाना मलाड पश्चिम मुम्बई महाराष्ट्र पिन कोड 400064 व हाल पता .अटीरे फस्ट फ्लोर विदआउट रुफ आफ बिल्डअप प्रापर्टी, आफॅ प्रापर्टी बियरिंग नं- 1408 रानीबाग थाना सरस्वती विहार 30प0 दिल्ली, उम्र - 35 वर्ष, शिक्षा –12 वीं।

बरामदगी का विवरण –

1. घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद आधार कार्ड व 01 अदद पैन कार्ड

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।